

अधिसूचना सं. का.आ. 17(अ) [सं. 1619], 12-1-1977

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित व्यवसायों को अधिसूचित करता है, अर्थात:

(क) अधिकृत प्रतिनिधि का पेशा; और

(ख) फिल्म कलाकार का पेशा।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में,—

(क) "अधिकृत प्रतिनिधि" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष, जो किसी समय लागू किसी कानून के तहत गठित या नियुक्त किया गया हो, किसी फीस या पारिश्रमिक के भुगतान पर करता है, लेकिन इसमें प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्ति का कर्मचारी या कानूनी पेशा करने वाला व्यक्ति या अकाउंटेंसी का पेशा करने वाला व्यक्ति शामिल नहीं है;

(ख) "फिल्म कलाकार" से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो अपनी व्यावसायिक क्षमता में किसी चलचित्र फिल्म के निर्माण में लगा हुआ है, चाहे वह उसके द्वारा निर्मित हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जैसे-

(i) एक अभिनेता;

(ii) एक कैमरामैन;

(iii) एक निर्देशक, जिसमें एक सहायक निर्देशक भी शामिल है;

(iv) एक संगीत निर्देशक, जिसमें एक सहायक संगीत निर्देशक भी शामिल है;

(v) एक कला निर्देशक, जिसमें एक सहायक कला निर्देशक भी शामिल है;

(vi) एक नृत्य निर्देशक, जिसमें एक सहायक नृत्य निर्देशक भी शामिल है;

(vii) एक संपादक;

(viii) एक गायक;

(ix) एक गीतकार;

(x) एक कहानीकार;

(xi) एक पटकथा लेखक;

(xii) संवाद लेखक; और

(xiii) ड्रेस डिजाइनर।